

दिनांक 31.05.2024

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। परिवादी उपस्थित। अभियुक्त अनुपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली वाद अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत चला आ रही है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में जारी गैर जमानती वारण्ट अदम तामील इस आख्या के साथ वापस प्राप्त है कि अभियुक्त सोहन लाल के घर में दबिश दी गयी थी, घर में ताला लगा है, आस पास के लोगों से किया तो बताया कि कई दिनों से घर पर नहीं है। अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने हेतु उसके विरुद्ध पुनः गैर जमानती वारण्ट जारी हो। अभियुक्त के जामिनान को जारी नोटिस बजात खास तामीली के साथ वापस प्राप्त है। उसके जामीनान के विरुद्ध द0प्र0सं0 के अनुसूची के तहत प्रारूप संख्या 48 का नोटिस जारी हो। परिवादी आवश्यक पैरवी तीन के भीतर लेना सुनिश्चित करे।

पत्रावली वास्ते उपस्थिति अभियुक्त दिनांक 14.06.2024 को पेश हो।

(प्रतीक मथेला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पौड़ी
पौड़ी गढ़वाल।